



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:- 03-01-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त अशोक कुमार गुप्ता को एनडीपीएस के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 08 माह 24 दिन के कारावास तथा 2000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

थाना-लक्सा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 24/2024, धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अशोक कुमार गुप्ता पुत्र छेदीलाल गुप्ता निवासी- ए 34/13 तेलियाना हनुमान फाटक थाना आदमपुर वाराणसी को थाना-लक्सा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 03.01.2025 को मा0 न्यायालय ACJM-II जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अधिकतम 08 माह 24 दिन के कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 07 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी